न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 107/2017

1. मायादेवी पत्नी बालूराम जाति जाट निवासी चक 2 जी.एम(ए) तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
2. शान्ति देवी पत्नी पूर्णराम जाति जाट निवासी चक 2 जी.एम(ए) तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थीगण

बनाम

1. रणजीत कौर पत्नी गुरदेवसिंह 2. सुखपालसिंह पुत्र गुरदेवसिंह 3. निरपालसिंह पुत्र गुरदेवसिंह 4. जसपालसिंह पुत्र गुरदेवसिंह 5. जसवीर कौर पुत्री गुरदेवसिंह 6. बलविन्द्र कौर पुत्री गुरदेवसिंह	जाति नाई सिख निवासी 8 के डब्ल्यू एम तह0 घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

7. बृजलाल पुत्र वीरूराम जाति मेघवाल निवासी 9 डी.डी.ए. हाल आबाद चक 8 के डब्ल्यू.एम. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
8. कुन्दनलाल पुत्र रामकरण जाति नायक निवासी 21 ए.एस.बी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
9. भगतसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रायसिख निवासी चक 8 के.डब्ल्यू. एम. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
10. राजस्थान सरकार। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधि.1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी घडसाना दिनांक 16.10.2017

उपस्थितिः–

श्री अरविन्द जाखड अभिभाषक अपीलार्थी

श्री तेजासिंह अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 से 6

श्री इकबालसिंह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

8/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक :– 08.05.2018

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी घडसाना के आदेश दिनांक 16.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पों. सं. 1 से 6 को चक 8 के डब्ल्यू के मु.नं. 134/57 के कि.नं. 8 से 15, 18 से 23 की 3.542है0 भूमि बतौर मिडियम पेच आवंटित की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा विवादित भूमि अपने नाम आवंटित करवाने हेतु प्रा.पत्र दिनांक 18.12.2016 को आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया जो नियम विरूद्ध तरीके से दिनांक 16.10.2017 को खारिज कर दिया। अपीलांट की भूमि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि के चिपती हुई है। विवादित भूमि की खुली बोली से निलामी की जानी चाहिए थी जिससे राज्य सरकार को अधिक आय प्राप्त होती। परन्तु अधी. न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिससे राज्य सरकार को बहुत नुकसान हुआ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी. न्यायालय का आदेश दिनांक 16.10.2017 को निरस्त कर अपीलाधीन आराजी को पुनः खुली बोली से निलामी करने के आदेश दिये जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अपीलांट की चिपती हुई भूमि नहीं है। अपीलांट का किसी प्रकार से कोई हक व अधिकार नहीं है। अधी. न्यायालय ने सभी तथ्यों की जांच कर रेस्पों. को आवंटन करने में किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना के निर्णय दिनांक 16.10.17 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा रेस्पों. को मिडियम पेच में भूमि आवंटित की गई है जबकि अपीलांट की भी कृषि भूमि विवादित भूमि के

8/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

चिपते होने से खुली बोली से आवंटन का अनुतोष चाह कर अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अपीलांट की कृषि चक 10 के डब्ल्यू.एम. के मु.नं. 134/49 में स्थित होकर चक 8 के मु.नं. 134/57 में मिडियम पेच का आवंटन खुली निलामी बोली के जरिये चाहा है जबकि रेस्पों. की कृषि भूमि व मिडियम पेच की भूमि एक ही चक एवं एक ही मुरब्बा में स्थित है यथा रेस्पों. की कृषि भूमि चक 8 के मु.नं. 134/57 में स्थित है तथा विवादित आराजी जो रेस्पों. को मिडियम पेच में आवंटित हुई है चक 8 के मु.नं. 134/57 में स्थित है। अतः रेस्पों. की पहली प्राथमिकता बनती है एवं अधी. न्यायालय द्वारा उसे ही मिडियम पेच के रूप में आवंटन किया गया है। जहां पर प्राथमिकता कम बराबर होने पर भी खुली बोली के बजाए sealed bid के प्रावधान संदर्भ नियम 14ए में निहित है जो प्रकरण हाजा पर लागू नहीं होते है। अतः रेस्पों. को पहली प्राथमिकता का आवंटन होने व खुली बोली के प्रावधान invoke नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.10.2017 यथावत रखा जाता है तथा अपीलांट अभिभाषक द्वारा सीपीसी के आदेश 41 नियम 20 के तहत दिया प्रा.पत्र भी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर